सेवा मे

श्रीमान प्रथम अपीलीय अधिकारी
निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्था
कल्यान पुर कानपुर उ०प्र०

विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील

SAO & CPIO
m pls p
09/5

बिनम्र निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम गोपीनाथ पुर का स्थाई निवासी है प्रार्थी द्वारा दिनांक 07/04/2017 को राष्ट्रीय शर्करा संस्था कल्यान पुर कानपुर के जन सूचना अधिकारी से 6 बिन्दुओ पर सूचनाए माँगी गयी थी किन्तु जन सूचना अधिकारी द्वारा पूछे गये बिन्दुओ की सूचना घुमा फिरा कर आधी अधूरी सूचनाए दी गई है जिसकी छाया प्रति कापी सलग्नक (1) एक के रूप मे प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है। प्रार्थी द्वारा माँगी गई सूचना की छाया प्रति संलग्नक दो के रूप मे संलग्न है। दी गई सूचनाए निम्न कारणो से भ्रामक एव असत्य है।

Sri Rajeev
on file!
09/5/17

1- बिन्दु संख्या (1) मे जाँच अधिकारी जिसके द्वारा जाँच की गई उसका नाम एव किस तिथि को जाँच किया गया एव किस अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति मे जाँच सम्पन्न किया गया आदि बिन्दुओ की सूचना नही दिया गया
2. बिन्दु संख्या (3) मे यह नही बताया गया किसी कर्मचारी के बिरुद्ध जाँच को कितने समय मे पूरा करने का नियम होता है
3. बिन्दु सं० (4) मे यह नही बताया गया कि जाँच मे आरोप पत्र दाखिल करने के कितने दिनो बाद कार्यवाही की जाती है.
4. बिन्दु सं० (5) मे यह नही बताया गया कि अच्छेलाल मजदूर के बिरुद्ध जाँच किस तिथि को पूरी हो जायेगी।

अस्तु आप से बिनम्र निवेदन है कि उपरोक्त सूचनाए सही, सटीक, तथ्य परक ढंग से दिलाए जाने की कृपा करें।

प्रार्थी Rajeev Dubey
4/05/2017
राजीव दुबे S/o श्री श्यामचन्द्र दुबे
ग्राम :- गोपीनाथपुर
पो. बरुआ उतरी

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान
निदेशक कार्यालय
क्रम सं० 392
दिनांक 9-5-17

सं.- 25(52)/2016/RTI/9

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित संस्थान

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

भारत सरकार

फोन- 2570541, 542

फैक्स- 0512-2570247

कानपुर, दिनांक- 29.5.2017

जारी
सख्या 671
दिनांक 30-5-17
बी. के. मीना

सेवामें,

श्री राजीव दुबे सुत श्री ध्यानचंद्र दुबे,
निवासी ग्राम- गोपीनाथपुर,
पो.आ.- बरूआ उत्तरी,
जनपद- सुल्तानपुर (उ.प्र.)

विषय- जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री राजीव दुबे द्वारा प्रथम अपील में मांगी गई सूचना के संबंध में।

महोदय,

आपके द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 07.4.2017 के आवेदन से सम्बंधित दिनांक 04.5.2017 की प्रथम अपील जो संस्थान में दिनांक 09.5.2017 को प्राप्त हुई है, के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि संस्थान के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 21/27.4.2017 को जिस स्थिति तक सूचना दी जा सकती थी आपको उपलब्ध करा दी गई थी। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा अपील में उठाये गए बिंदु संख्या 1 के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि श्री एस. के. त्रिवेदी, सहा. आचार्य (श. प्रौ.) द्वारा दिनांक 10.12.2013 को श्री संतोष मिश्रा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर से संदर्भित विषय पर जानकारी प्राप्त की गई तथा तदुपरांत दिनांक 25.3.2014 को प्राथमिक विद्यालय, गोपीनाथपुर जाकर श्री मोहम्मद हाकिम तत्कालीन प्रधानाचार्य की उपस्थिति में जाँच की गई।

इसी प्रकार बिंदु संख्या 2, 3 एवं 4 के सन्दर्भ में पुनः सूचित किया जाता है कि जनसूचना अधिकारी का यह कर्त्तव्य नहीं होता है कि ऐसी जानकारी प्राप्त करे जिससे कि निष्कर्ष एवं अनुमान निकालने की धारणा बनाने की अथवा सूचना की विवेचना करने की अथवा काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता होगी। अतः मै CPIO के निर्णय से सहमत हूँ।

यदि आप इस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं तो आप दूसरी अपील इस निर्णय की तिथि या इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अंदर निम्न पते पर केंद्रीय सूचना आयोग में कर सकते हैं –

केंद्रीय सूचना आयोग,
कमरा न. -326, द्वितीय तल,
अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली -110066

भवदीय

नरेंद्र मोहन

(नरेंद्र मोहन)
निदेशक एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी